**दिनांक 30.04.2015 को प्रधान सचिव, कृषि विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बक्सर जिले के कृषि योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही:–**

**उपस्थिति:–संचिका में संधारित।**

1. **माप–तौल** :– जिले के सहायक नियन्त्रक, माप–तौल को निदेश दिया गया कि Demand बनाकर विभाग को प्रेषित की जाय। सहायक नियंत्रक, माप–तौल, मुंगेर ने बताया निरीक्षक समस्तीपुर से आते है।

   निदेश दिया गया कि कितने निरीक्षक कहाँ–कहाँ कार्य कर रहे है। इसकी सूची अगली बैठक में तैयार कर लाई जाय।

2. **जैविक प्रोत्साहन कार्यक्रम** :– बक्सर ज़िले में वर्ष 2014–15 में जैविक प्रोत्साहन कार्यक्रम में कुल वित्तीय लक्ष्य 211.85 लाख के विरूद्ध उपलब्धि 160.601 लाख रूपये है। इस कार्यक्रम में पक्का वर्मी बेड में वित्तीय लक्ष्य 122.37 लाख के विरूद्ध उपलब्धि 110.82 लाख रूपये है, जो 90.6 प्रतिशत है।

3. **वर्मी कम्पोस्ट** :– बक्सर जिले में वर्मी कम्पोस्ट वितरण में 3550 क्वीं लक्ष्य के विरूद्ध 3482 क्वीं उपलब्धि हुई है जो 99 प्रतिशत है।

   निदेश दिया गया कि वर्मी कम्पोस्ट एवं उर्वरक का सही अनुपात में उपयोग करने के लिए किसानों को जानकारी दी जाय।

4. **गोबर गैस संयंत्र** :– गोबर गैस संयंत्र में बक्सर जिले में वर्ष 2014–15 में भौतिक लक्ष्य 177 के विरूद्ध उपलब्धि 41 है जो काफी कम है।

   जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि गोबर गैस संयंत्र में किसानों की रूचि बढ़ रही है।

   जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि टेक्नोलॉजी का Demonstration करने एवं इच्छुक व्यक्तियों को चिन्हित कर लक्ष्य के विरूद्ध शत–प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जाय।

5. **कृषि यांत्रिकरण योजना** :– इस योजना में वर्ष 2014–15 में बक्सर जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उपलब्धि शत–प्रतिशत है।

6. **रब्बी अभियान** :– इस योजना में बक्सर जिले का कुल वित्तीय लक्ष्य 60.59 लाख के विरूद्ध उपलब्धि 58.306 लाख है।

   इस योजनांतर्गत धातु कोठिला वितरण में जिले की वित्तीय उपलब्धि 88 प्रतिशत है।

7. **खरीफ योजना** :– इस योजना में बक्सर जिले का कुल वित्तीय लक्ष्य 583.702 करोड़ के विरूद्ध उपलब्धि 579.412 करोड़ रूपये है। जिले में पैडी ट्रांसप्लांटर से धान प्रत्यक्षण में वित्तीय उपलब्धि 100 प्रतिशत, पैडी ड्रम सीडर से धान प्रत्यक्षण में वित्तीय उपलब्धि 100 प्रतिशत एवं बाजरा एवं मक्का प्रत्यक्षण में वित्तीय उपलब्धि 100 प्रतिशत है।

8. <u>राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन</u> :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में बक्सर जिले में चावल एवं गेंहूँ की योजना लागू नहीं है। यांत्रिकरण में कई योजनाओं में उपलब्धि अच्छी है, पर एन0एफ0एस0एम0 अन्तर्गत व्यय नहीं किया गया है। निदेश दिया गया कि भारत सरकार की योजनाओं पर व्यय करने के उपरांत ही राज्य योजना से व्यय किया जाय ताकि राज्य सरकार को वित्तीय भारत कम से कम पड़े।

9. <u>मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना</u> :– इस योजना अन्तर्गत बक्सर जिल में कुल भौतिक लक्ष्य 1101 क्वीं के विरूद्ध 880.20 क्वीं की उपलब्धि है।

10. <u>एकीकृत बीज ग्राम योजना</u> :– इस येाजना अन्तर्गत जिले में कुल भौतिक लक्ष्य 372.5 क्वीं के विरूद्ध 341.34 क्वीं की उपलब्धि है।

11. <u>दियारा विकास योजना</u> :– जिले में कुल वित्तीय लक्ष्य 47 लाख के विरूद्ध 45.196 लाख रूपये की उपलब्धि है।

12. <u>डीजल अनुदान</u> :– डीजल अनुदान वितरण हेत वर्ष 2014–15 में बक्सर जिले को 47.05 लाख रूपये आवंटित किया गया है। जिसके विरूद्ध 47.01 लाख रूपये की निकासी की गयी है एवं अवशेष राशि प्रत्यर्पित कर दी गयी है।

13. <u>ई–किसान भवन</u> :– ई–किसान भवन की समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर द्वारा बताया गया कि जिले में 06 ई–किसान भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, जिसमें 06 भवन हस्तगत करा दिये गये हैं, जिसमें प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक आदि कर्मी कार्य कर रहे हैं।

जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रखण्ड परिसर में भवन निर्माण के लिए जमीन उलपब्ध नहीं है।

जिला कृषि पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी ई–किसान भवन का Average Calculation करके बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाय। ई–किसान भवन में बिजली कनेक्शन प्रखंड कृषि पदाधिकारी के नाम से लिया जाएगा। इस कार्य हेतु आवंटन की माँग जिला कृषि मुख्यालय से करेंगे।

जिला कृषि पदाधिकारियों को ई–किसान भवन में शौचालय, पानी की सुविधा, चहारदीवारी, जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति आदि उपलब्ध हैं या नहीं, इसकी पूर्ण विवरणी एवं फोटोग्राफ लेकर अगली बैठक में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।

14. <u>नमूना जाँच</u> :– बक्सर जिले में कुल भौतिक लक्ष्य 9268 के विरूद्ध उपलब्धि 9438 है।

निदेश दिया गया कि नमूने का लक्ष्य समयानुसार निर्धारित किया जाय तथा ढ़ैचा बीज के नमूने की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत की जाय।

15. <u>राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र</u> :– राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र की समीक्षा के क्रम में जिलों कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रक्षेत्रों में उपलब्ध आधारभूत संरचना यथा–प्रक्षेत्र का रकबा, बाउन्ड्री, बिजली कनेक्शन ट्रान्सफर्मर, पानी, बोरिंग,

कार्यालय–सह–गोदाम भवन, थ्रेसींग फ्लोर एवं ड्रेनेज की व्यवस्था इत्यादि संबंधी प्रतिवेदन एवं प्रक्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यकता संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। उप कृषि निदेशक (प्रक्षेत्र) को निदेश दिया गया कि सभी प्रक्षेत्रों में क्या–क्या कार्य करना है से संबंधित संग्रहित प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

16. <u>आत्मा योजना</u> :– बक्सर जिले में इस योजनांतर्गत उपलब्धि असंतोषजनक पायी गयी। निदेश दिया गया कि अगली बैठक में व्यय की गयी राशि का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जाय।

प्रधान सचिव द्वारा निदेशक, बामेती को निदेश दिया गया कि वर्ष 2014–15 का सभी जिलों में आत्मा योजना का ऑडिट माह जून तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाय।

निदेशक, बामेती को निदेश दिया गया कि आत्मा योजना अन्तर्गत जिलों में कितनी राशि अवशेष है इसका योजनावार एवं खातावार प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय तथा किसान सम्मान योजना, किसान सलाहकार समिति, विषय वस्तु विशेषज्ञ, बीज ग्राम योजना, राज्य योजना के अन्तर्गत वेतनादि मद में शेष राशि को 15 मई, 2015 के पहले जमा करा दिया जाय।

17. <u>उद्यान योजना</u> :– उद्यान योजना की समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि जिलों में अवस्थित नर्सरी की सूची एवं वहाँ उपलब्ध आधारभूत संरचना का विस्तृत विवरण अगली बैठक में उपलब्ध करायेंगे।

उद्यान योजना से लाभान्वित कृषकों का सत्यापन कृषि समन्वयक से कराकर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

18. **<u>Oil Extraction Plant</u>** :- जिलों में कितना Oil Extraction Plant, किस क्षेत्र में एवं कहाँ अवस्थित है, इससे संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश जिला कृषि पदाधिकारी को दिया गया।

19. अगली बैठक में कोर्ट केस यथा सिविल रिट (CWJC) एवं अवमाननावाद (MJC) / सेवांत लाभ / ए0सी0 / डी0सी0 विपत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र / अंकेक्षण / जनशिकायत / राजस्व संग्रह से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

20. संयुक्त कृषि निदेशक, योजना के द्वारा बताया गया कि उद्यान, विश्वविद्यालय, बामेति, बीज निगम आदि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि उक्त सभी को जिनका उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है उनके साथ एक बैठक आयोजित की जाय।

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :–पी०पी०एम०–21 / 2015– 2343 / कृ0, पटना, दिनांक 7/5/ 2015

प्रतिलिपि :– कृषि निदेशक, बिहार, पटना / निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना / निदेशक, बामेती, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम, पटना / वरीय प्रभारी, जैविक खेती कोषांग / उप निदेशक (शष्य), बीज / बीज विश्लेषण, बिहार, पटना / उप निदेशक (प्रक्षेत्र) बिहार, पटना / संयुक्त कृषि निदेशक (माप–तौल) बिहार, पटना / उप निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना / संयुक्त कृषि निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना / जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर / परियोजना निदेशक, आत्मा, बक्सर / सहायक निदेशक उद्यान, बक्सर / सहायक निदेशक, माप–तौल, बक्सर / अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, बक्सर / सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, बक्सर / सहायक निदेशक, रसायन, बक्सर / सभी योजना के नोडल पदाधिकारी / प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना